MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN

SOLAR ENERGY CORPORATION OF INDIA

AND.

RUSSIAN ENERGY AGENCY

REGARDING CONSTRUCTION OF SOLAR POWER PLANTS IN REBUBLIC OF INDIA

Whereas,

The Solar Energy Corporation of India registered under the laws of India, represented by Managing Director, Dr. Ashvini Kumar (hereinafter referred to as "SECI");

Russian Energy Agency ("REA"), registered under the laws of Russian Federation, represented by Director General Anatoly Tikhonov (hereinafter referred to as "REA"),

SECI_and_REA_are_hereinafter_referred-to-individually-as-a-"Party"-and-collectively-as-the "Parties".

ARTICLE 1 AREA AND SCOPE OF COOPERATION

- 1.1. The Parties agree to cooperate in good faith to realize the potential projects in India of construction of large-scale photovoltaic power plants ("PVP") during year 2016-2022 ("Projects").
- 1.2. As one of the first stages of the Projects realization, Parties will endeavor to construct a pilot project with capacity up to 500 MW in the year 2016-2017 ("Pilot project") as per government scheme guidelines / policies
- 1.3. To realize the Projects, SECI and REA should:
 - i. Agree on the basic parameters of an implementation of the Projects and reflect them in the separate protocol within three months from the date of signing of this MOU.
 - ii. Agree on the roadmap and further steps aimed for development, approval and signing of the inter-governmental agreement between Russia and India-regarding the construction of Solar PV project in India within six months from the date of signing of this MOU.
 - iii. Take joint action to select the Pilot project within six months from the date of signing of this MOU.
 - iv. Assist the signing of the inter-governmental agreement between Russia and India regarding the construction of Solar PV project in India within one year from the date of signing of this MOU. It is, however, understood that allotment of

projects and signing of Power Purchase Agreements (PPAs) would be in accordance with the government scheme guidelines/policies.

- 1.4. Parties agree that SECI is expected to assist in obtaining required clearances, approvals and applicable tariff for the construction of Solar PV Pilot Project and other Projects subject to approval from Government / concerned authorities.
- 1.5. Parties agree that REA is expected to invite third parties to bring in state-of-the art technologies for SPV project development and for SPV manufacturing facility as well as to long term low cost financing with a view to achieve competitive solar tariff.
- 1.6. Parties will consider and evaluate the technical solutions for the construction of Solar PV Projects based on Russian and Indian technologies and components manufactured using the new technologies of the Russian and Indian enterprises, including but not limited to robotized construction of Solar PV Projects and production of photovoltaic modules using state of the art technologies.
- 1.7. This MoU shall not be binding or legally enforceable, imposes no enforceable obligations upon the Parties and does not grant any rights. However, the Parties shall utilize this MoU as the framework for further agreement or agreements.

ARTICLE 2 WORKING GROUP

- 2.1 In order to promptly implement this MoU address the issues, if any and for the development of the documents required for its implementation, the Parties will establish a working group with representatives of SECI and REA within three months after signing of this MoU.
- 2.2 Each Party has the right at any time to change their representatives by written notice to the other Party.

ARTICLE 3 CONFIDENTIALITY

- 3.1 In consideration of the mutual exchange and disclosure of Confidential Information, each party undertakes in relation to the other party's Confidential Information:
 - To maintain the same in confidence and to use it only for the purposes of this MoU and for no other purpose and in particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, not to make any commercial use thereof or use the same for the benefit of itself or of any third party other than pursuant to this MoU or a further agreement with the other party;
- ii. To apply thereto no lesser security measures and degree of care than those which the receiving Party applies to its own confidential or proprietary information and which the receiving party warrants as providing adequate protection of such information from unauthorized disclosure, copying or use of this information.
- 3.2 The above obligation will not apply to the extent that:
 - i. The information was in the public domain before it was furnished to the relevant Party or, after it was furnished to that Party, entered the public domain otherwise than as a result of a breach by that Party of this confidentiality clause;

ii. The information is necessary to disclose in order to comply with applicable legislation of India and/or Russia.

ARTICLE 4 ANNOUNCEMENTS AND NOTIFICATIONS

No Party shall make any press release or other public announcement in connection with any of the transactions contemplated by the Parties on the basis of this MoU or relating to Projects except an announcement in a form agreed by the Parties or any announcement required by any applicable legislation to which any Party is a subject.

ARTICLE 5 FINANCING

Any expenses incurred by any of the Parties to perform the necessary actions, particularly when transferring data between the Parties or business trips, must be completely covered by each Party at the expense of its budget. Each Party shall be solely responsible for their direct or indirect costs that it incurred in the implementation of this MoU and shall not be entitled to claim their compensation from the other Party.

ARTICLE 6 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signature and shall remain in force for a period of seven (7) years. Thereafter, it will be renewed by the mutual written consent of the Party, unless either of the Parties decides to terminate the same. Such decision will be communicated in writing to the other Party at least three (3) months prior to its termination. The termination of this MoU will not affect the validity and duration of any on-going programme and projects under this MoU.

	Additions and amendments to this MoU authorized representative of the Parties.	shall be valid only if made in writing and signed by
)		2015 in two originals each in Hindi, English and y authentic. In case of any divergence, the English
	Solar Energy Corporation of India	Russian Energy Agency
	3id n 5v	GUSCAN GUSCAN
	Dr. Ashvini Kumar Managing Director	Mr AV 那khonov Director General
डॉ. भारते	Or Ashvini Kumar Proctor of india varise)	

राजी-17

10017

€Î-3,5

D-3..1:

भारत गणराज्य में सोलर पादर प्लांट का निर्माण करने के सम्बंध में

सोलर एनर्जी कारपोरेशन आफ इंडिया

और

रशियन एनजी एजेन्सी

के बीच

समझौता ज्ञापन

यत:

भारत के कानूनों के अन्तर्गत पंजीकृत सोलर एनर्जी कारपोरेशन आफ इंडिया, जिसका प्रतिनिधित्व प्रबन्ध निदेशक, डा. अश्विनी कुमार द्वारा किया जाता है (इसके बाद इसे "सेकी" कहा गया है)।

रूसी संघ के कानूनों के अन्तर्गत पंजीकृत रशियन एनर्जी एजेन्सी ("आरईए"), जिसका प्रतिनिधित्व महानिदेशक, अन्टोली टिखोनोव द्वारा किया जाता है (इसके बाद इसे "आरईए" कहा गया है)।

सेकी और आरईए को इसके बाद व्यक्तिगत रूप में एक "पक्षकार" और सामूहिक रूप में "पक्षकारों" कहा गया है।

अनुच्छेद - 1 सहयोग का क्षेत्र और विस्तार

- 1.1 पक्षकार वर्ष 2016-2022 के दौरान बड़े पैमाने पर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्रों ("पीवीपी") के निर्माण की भारत में सम्भवी परियोजनाएं कार्यान्वित करने के लिए सद्भाव में सहयोग करने के लिए सहमत हैं। ("परियोजनाएं")
- 1.2 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रथम अवस्थाओं के प्रथम रूप में, पक्षकार सरकार की स्कीम के दिशानिर्देशों / नीतियों के अनुसार वर्ष 2016-2017 में ("पायलट परियोजना") 500 मेगावाट तक की क्षमता की पायलट परियोजना का निर्माण करने का प्रयास करेंगे।
- 1.3 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सेकी और आरईए:
 - परियोजनाओं के कार्यान्वयन के मूलभूत पैरामीटरों पर सहमत होंगी और इस समझौता ज्ञापत पर हस्ताक्षर होने की तारीख से तीन महीनों के अन्दर अलग नयाचार में उन्हें प्रतिबिम्बित करेंगी।

- ii. इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने की तारीख से छ: महीने के अन्दर भारत में सोलर पीवी परियोजना के निर्माण के बारे में विकास, अनुमोदन और रूस तथा भारत के बीच अन्त:-सरकारी करार पर हस्ताक्षर के उद्देश्य के लिए रोडमैंप और आगे कदम उठाने के लिए सहमत होंगी।
- iii. इस समझौंता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख से छ: महीनों के अन्दर पायलट परियोजना के चयन के लिए संयुक्त कार्रवाई करेंगीं।
- iv. इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख से एक वर्ष के अन्दर भारत में सोलर पीवी पिरयोजना के निर्माण के बारे में रूस और भारत के बीच अन्त:-सरकारी करार पर हस्ताक्षर के लिए संहायता करेंगीं। तथापि, यह समझा जाता है कि परियोजनाओं का आवंटन और विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर हस्ताक्षर सरकार की स्कीम के दिशानिर्देशों / नीतियों के अनुसार किए जाएंगे।
- 1.4 पक्षकार सहमत हैं कि सेकी सरकार और सम्बंधित प्राधिकारियों से अनुमोदन की शर्त के अध्यधीन सोलर पीवी पायलट परियोजना और अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए अपेक्षित अनापत्ति, अनुमोदन और लागू शुल्क प्राप्त करने में सहायता करेगा।
- 1.5 पक्षकार सहमत हैं कि आरईए एसपीवी परियोजना विकास और एसपीवी निर्माण सुविधा के लिए अत्याद्युनिक प्रौद्योगिकियां लाने और दीर्घावधि कम लागत के वित्त पोषण के लिए तीसरे पक्षकारों को आमंत्रित करेगा ताकि प्रतिस्पर्धी सोलर शुल्क को प्राप्त किया जा सके।
- 1.6 पृक्षकार रूसी और भारतीय उद्यमियों की नई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल सहित रूसी और भारतीय प्रौद्योगिकियों और उत्पादित घटकों पर आधारित सोलर पीवी परियोजनाओं के निर्माण के लिए तकनीकी समाधान पर विचार और मूल्यांकन करेंगे लेकिन इसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर सोलर पीवी परियोजनाओं के यन्त्रमानवीकृत (रोबोटाइज्ड) निर्माण और फोटोबोल्टिक माड्यूल के निर्माण तक सीमित नहीं रखेंगे।
- 1.7 यह समझौता ज्ञापन आबद्धकर अथवा वैध रूप से बाध्यकरण नहीं होगा और न ही पक्षकारों पर बाध्यकरण दायित्व लागू करेगा और न ही कोई अधिकार देगा । तथापि, पक्षकार इस समझौता ज्ञापन को आगे करार अथवा करारों के लिए ढांचे के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे।

अनुच्छेद - 2 कार्यकारी समृह

- 2.1 इस समझौता ज्ञापन के तत्परता से कार्यान्वयन करने, मामलों, यदि कोई हों, का समाधान करने और इसके कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित प्रलेखों को तैयार करने के लिए, पक्षकार इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद तीन महीनों के अन्दर सेकी और आरईए के प्रतिनिधियों के साथ एक कार्यकारी समह गठित करेंगे।
- 2.2 प्रत्येक पक्षकार को दूसरे पक्षकार को लिखित में सूचना देकर किसी भी समय अपने प्रतिनिधियों को बदलने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद - 3 गोपनीयता

- 3.1 गोपनीय सूचना के आपसी आदान-प्रदान और प्रकटीकरण को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार की गोपनीय सूचना के सम्बंध में निम्नलिखित वचन देगा:-
 - इसे गोपनीय रखेगा और इसे केवल इस समझौता ज्ञापन के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करेगा और किसी अन्य प्रयोजन और विशेष रूप से इसका इस्तेमाल नहीं करेगा लेकिन पूर्ववर्ती की सामान्यता के पूर्वाग्रह के बिना, इसका कोई वाणिज्यिक इस्तेमाल नहीं करेगा अथवा स्वयं के लाभ के लिए अथवा इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण के अलावा किसी तीसरे पक्षकार के लिए अथवा अन्य पक्षकार के साथ आगे करार के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेगा;
 - ii. तत्सम्बंध में कम से कम ऐसे सुरक्षा उपाय और इस प्रकार की देखभाल करेगा जिन्हें प्रापक पक्षकार अपने स्वयं की गोपनीय या सांपतिक सूचना के संरक्षण के लिए करता है और जिन्हें प्रापक पक्षकार अनाधिकृत प्रकटीकरण, प्रतिलिपिकरण या इस सूचना का उपयोग न किए जाने के लिए पर्याप्त संरक्षण प्रदान करना आवश्यक समझता है।
- 3.2 उपर्युक्त दायित्व निम्नलिखित सीमा तक लागू नहीं होगा :
 - i. यह सूचना सम्बद्ध पक्षकार को प्रस्तुत करने से पहले सार्वजनिक की गई थी या तृतीय पक्षकार को प्रस्तुत करने के पश्चात उक्त पक्षकार द्वारा इस गोपनीयता खंड का उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप अन्यथा सार्वजनिक की गई थी;
 - भारतीय और / अथवा रूस में लागू कानून के अनुपालन के लिए यह सूचना प्रकट करना आवश्यक है।

अनुच्छेद - 4 <u>घोषणा और अधिसूचना</u>

कोई पक्षकार इस समझौता ज्ञापन के आधार पर पक्षकारों द्वारा सहमत प्रपन्न में घोषणा के अथवा लागू किसी विधान, जिसके लिए कोई पक्षकार एक व्यक्ति हैं, द्वारा अपेक्षित कोई घोषणा के सिवाय पक्षकारों द्वारा अपेक्षित किसी कारोबार के सम्बंध में अथवा परियोजनाओं के सम्बंध में कोई प्रेस प्रकाशनी अथवा सार्वजनिक घोषणा नहीं करेगा।

अनुच्छेद – 5 <u>वित्त पोषण</u>

किसी पक्षकार द्वारा आवश्यक कार्यों के निष्पादन के लिए किया गया कोई खर्च विशेष तौर से पक्षकारों के बीच आंकड़ों का संचारण अथवा कारोबार यात्राओं के लिए किया गया खर्च प्रत्येक पक्षकार के अपने बजट के खर्च में पूर्णतया शामिल होगा। प्रत्येक पक्षकार इस संमझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए वहन की गई अपनी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लागत के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होगी और अन्य पक्षकार से अपनी क्षतिपूर्ति के लिए दावे की हकदार नहीं होगा।

अनुच्छेद - 6 लागु होना, अवधि और पर्यवसान

यह समझौता ज्ञापन इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से लागू होगा और यह सात (7 वर्ष) की अवधि के लिए लागू रहेगा। इसके बाद पक्षकारों की आपसी लिखित सहमित द्वारा नवीकृत किया ज्ञाएगा जब तक कि दोनों में से कोई पक्षकार इसे पर्यवसान करने का निर्णय नहीं लेते हैं। ऐसा निर्णय इसके पर्यवसान के कम से कम तीन (3) माह पूर्व दूसरे पक्षकार को लिखित में सूचित किया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन के पर्यवसान से इस समझौता ज्ञापन के अधीन चल रहे किसी कार्यक्रम की अवधि और वैधता तथा परियोजनाओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इस समझौता जापन में परिवर्धन और संशोधन केवल तभी वैद्य होंगे जब पक्षकारों के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिखित में दिए जाते हैं और हस्ताक्षरित किए जाते हैं।

में प्रत्येक हिन्दी, अंग्रेजी और रूसी भाषा में छ: प्रतियों में हस्ताक्षरित सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। किसी अन्तर के मामले में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

सोलर एनर्जी कारपोरेशन आफॅ इंडिया

्रीर्पका) कि (डा. अश्विनी कुमार) प्रबन्ध निदेशक

डॉ. अश्विनी. कुमार / Dr. Ashvini Kumar प्रबन्ध निर्देशक / Manac stor भारतीय सौर फर्जा निगम / Solar E p. of India (भारत सरकार का उद्यम्) / (A Govi - काश्यक्रक) नवीन और नवीकरणीय उपलय Ministry of New & Renew: 39 डी-3,7थम तन, ए दिंग, ब्लिट्सर सेन्ट शिक्का, Salat, new Vellet 18917



